

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर, (छ0ग0)
आदेश

क्रमांक/रीडर-जि0दण्डा/1685/2020

बिलासपुर, दिनांक- 28 अप्रैल, 2020

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/रीडर-जि0दण्डा0/1656 बिलासपुर दिनांक- 22 अप्रैल, 2020 के द्वारा, कोरोना वायरस के संक्रमण और इसकी संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण बिलासपुर जिले के राजस्व सीमा क्षेत्र में, मिल्क पार्लर, मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पम्प, राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबे, टेक अवे/ होम डिलीवरी रेस्टोरेंट को छोड़कर प्रत्येक रविवार एवं बुधवार को सम्पूर्ण बाजार/दुकानें बंद रखे जाने का आदेश प्रसारित किया गया है। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त बाजार/दुकाने अब सप्ताह में एक दिन प्रत्येक रविवार को बंद रखी जायेंगी।

(डॉ० राजय अलंग)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
बिलासपुर, (छत्तीसगढ़)

पृ0 क्रमांक/रीडर-जि0दण्डा/1685/2020
प्रतिलिपि-

बिलासपुर, दिनांक- 28 अप्रैल, 2020

- 1- अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
- 3- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
- 4- आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
- 5- पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 6- पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर,
- 7- आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर,
- 8- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बिलासपुर,
- 10- अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बिलासपुर/कोटा/मस्तुरी एवं बिल्हा,
- 11- सर्व तहसीलदार समस्त.....जिला- बिलासपुर
- 12- सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी.....जिला- बिलासपुर
- 13- उप संचालक, जनसंपर्क, बिलासपुर को समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ।
जिला- बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
बिलासपुर, (छ0ग0)
बिलासपुर, (छत्तीसगढ़)